

MR. CHAIRMAN: You have asked the question. That question is over now. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: *

MR. CHAIRMAN: No; I am sorry. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: *

MR. CHAIRMAN: Please. The question is over. We are now on to Question No. 63. Please.

Closure of engineering institutions

*63. SHRI AVINASH RAI KHANNA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the number of engineering institutions in the country along with the details such as the number of seats, the number of students and the courses offered therein;
- (b) the rate of placement in these institutions;
- (c) whether about 150 such institutions from all over the country have applied to get permission for closure;
- (d) if so, the steps Government is taking in this regard; and
- (e) the number of students and others like teachers in these institutions?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.M. PALLAM RAJU): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are 3028 institutions conducting Diploma level programs, 3357 institutions conducting Under Graduate programs, 1901 institutions conducting Post Graduation programs and 54 institutions conducting Post Diploma programs in Engineering and Technology. The details of approved intake in All India Council for Technical Education (AICTE) approved engineering and technology institutions are given in the Statement-I (*See below*).

(b) The data regarding rate of placement is not maintained by the Ministry of Human Resource Development.

*Not recorded.

(c) and (d) During 2011-12, 35 engineering institutes were closed and during 2012-13, 17 engineering institutes were closed. For the academic year 2013-14 AICTE has received 25 applications for closure of the institutes. The students from these closed institutes are given admission in adjoining affiliated college of the University. The salary of the faculty can be recovered from the security amount deposited with AICTE by the institution. Generally, to provide financial assistance to technical institutions, AICTE offers a number of schemes a list of which is given in the Statement-II (*See below*).

(e) The number of students affected in 2011-12 and 2012-13 is 194. However, overall the number of seats reduced due to closure of 17 engineering colleges in 2012-13 is 3052 and against this, 95 new engineering colleges are approved, adding 27060 seats. In 2011-12, 10411 seats were reduced due to closure of 35 engineering institutions and against this, 178 new engineering colleges were approved, adding 51900 seats.

Statement-I

Total number of students — approved intake in Engineering and Technology

State	Diploma	UG	PG	Post Diploma	Grand Total
1	2	3	4	5	6
Chhattisgarh	4985	24880	1627	40	31532
Gujarat	57932	54329	4009	160	116430
Madhya Pradesh	16455	98381	7966	120	122922
Andaman and Nicobar Islands	270	90	—	—	360
Arunachal Pradesh	450	150	36	—	636
Assam	1133	4275	282	150	5840
Jharkhand	4740	5870	703		11313
Manipur	230	115	40	20	405
Meghalaya	300	480	—	20	800

1	2	3	4	5	6
Odisha	3395	44478	2825	—	50698
Sikkim	405	720	18	—	1143
Tripura	470	300	—	—	770
West Bengal	21365	34053	3959	145	59522
Chandigarh	622	915	636	35	2208
Delhi	3935	6890	1074	25	11924
Haryana	70788	66590	6410	90	143878
Himachal Pradesh	9898	7710	192	—	17800
Jammu and Kashmir	3015	2485	36	—	5536
Punjab	59247	44105	9959	220	106535
Rajasthan	48161	62070	3074	40	113345
Bihar	5055	7550	150	—	12755
Uttar Pradesh	88250	145942	6679	1060	241931
Uttarakhand	12223	14385	689	150	27447
Andhra Pradesh	95510	350840	41054	180	487584
Karnataka	90367	95310	8759	280	194716
Kerala	16274	55184	5199	—	76657
Puducherry	2650	6720	462	—	9832
Tamil Nadu	187010	257372	23909	397	468688
Dadra and Nagar Haveli	330	—	—	—	330
Daman and Diu	360	—	—	—	360
Goa	1060	1260	120	—	2440
Maharashtra	161033	155673	14281	110	331097
TOTAL:	967868	1549126	137148	3242	2657434

Statement-II

Scheme offered by the AICTE for providing financial assistance to technical institute

-
- (i) Research Promotional Scheme
 - (ii) National Co-coordinated Projects
 - (iii) National Faculties in Engineering and Technology with Industrial Collaboration
 - (iv) Modernization and Removal of Obsolescence
 - (v) Entrepreneurship and Management Programme
 - (vi) Industry Institute Partnership Programme
 - (vii) Travel Grant to Faculties,
 - (viii) Seminar Grant Assistance to Professional Bodies
 - (ix) Faculty Development Programme
 - (x) Emeritus Fellowship
 - (xi) Career Awards
 - (xii) Visiting Professorship
 - (xiii) INAE–Distinguished visiting professorship
 - (xiv) National Doctoral Fellowship
 - (xv) Research Park
 - (xvi) Innovation Promotion Scheme
 - (xvii) Summer Winter School
-

The details of these schemes are made available on AICTE website www.aicte-india.org

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, इन्होंने अपने उत्तर के पार्ट “सी” और “डी” में जो स्टेटमेंट दी है, उसके अनुसार वर्ष 2011-12 में 35 कॉलेजिज़ बंद हुए, वर्ष 2012-13 में 17 कॉलेजिज़ बंद हुए और वर्ष 2013-14 में 25 कॉलेजिज़ की ऐप्लिकेशंस उन्हें क्लोज़ करने के लिए आ

गयी हैं। मैं मंत्री जी से सिम्पल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब भी कोई कॉलेज खुलता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सीट्स की allocation होती है। आपने कहा कि जितने कॉलेजिज़ क्लोज़ हुए हैं, उनके विद्यार्थियों को उसी यूनिवर्सिटी के adjoining कॉलेजिज़ में ऐडजस्ट कर दिया गया, तो क्या आपने उन कॉलेजिज़ की सीट्स बढ़ाई या उन बच्चों के लिए टेम्परेरी ऐरेंजमेंट करके वहां पर ऐडजस्ट किया? क्या यह भी रूल्स की वॉयलेशन नहीं है?

श्री जितिन प्रसाद : सर, माननीय सदस्य का यह एक बड़ा ही अहम प्रश्न है कि आखिर इन इंस्टिट्यूट्स के विद्यार्थियों का क्या होता है, जिन इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट्स या हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स को हम बंद कर देते हैं। हम लोग सरकार में इस बात की खास प्राथमिकता रखते हैं कि एक-एक बच्चा, जो किसी विद्यालय में है और अगर वह विद्यालय बंद हो गया, तो उसको नेबरिंग इंस्टिट्यूट्स में ऐडमिशन दी जाती है, जहां सीटें होती हैं। जहां सीटें नहीं होती हैं, उसका खास प्रावधान टेम्परेरली उस वर्ष के लिए किया जाता है, जब तक वह विद्यार्थी, जो बंद विद्यालय का है, उसको पूरी शिक्षा न मिल जाए। इसके साथ ही साथ, मैं सदस्य को यह भी बता दूँ कि इसमें हम सिर्फ विद्यार्थियों का ही नहीं, बल्कि टीचिंग स्टाफ का भी ख्याल रखते हैं। जिन इंस्टिट्यूट्स में फेकल्टी बेरोजगारी हो जाती है, तो एआईसीटीई के पास जो फीस पहले डिपॉजिट ली जाती है, उसका इस्तेमाल उन टीचर्स के भत्तों को देने और उनकी पेमेंट्स करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, स्टूडेंट्स को किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती।

श्री सभापति : दूसरा प्रश्न।

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, किसी भी इंजीनियरिंग institute को क्लोज करने के लिए मेनली दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि उसको जितनी सीट्स अलॉट हुई हैं, उतने विद्यार्थी न मिलें और दूसरे, उनके पास उतनी faculty नहीं आई। महोदय, जिन लोगों ने applications दी हैं, क्योंकि 25 applications आपके पास और pending हैं, तो इसमें क्या कारण रहे कि उन लोगों ने institute को क्लोज किया? महोदय, रूरल एरिया में साइंस पढ़ने का ट्रेंड कम हो रहा है। अगर नर्सरी बच्चे नहीं आएंगे या रूरल एरिया से उतने बच्चे नहीं मिलेंगे, तो साइंस पढ़ने के लिए बच्चों को encourage करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि ये institutes क्लोज न हो?

श्री जितिन प्रसाद : महोदय, आपका सवाल है कि हम साइंस को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, जहां तक साइंस का सवाल है, उस सम्बन्ध में देखा गया है कि समय आई.टी. जोरों पर था और सिविल, मैकेनिकल वगैरह की इतनी डिमांड नहीं थी। इसमें यह देखा जाता है कि किसी एक तरफ बैलेंस न चला जाए और बाकी कोर्सेस का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर एक discipline को पढ़ने की डिमांड ज्यादा हो गयी, तो नौकरियां उतनी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हर तरीके का बैलेंस बनाया जाता है ताकि हर विद्यालय में intake बराबर हो, बराबर के कोर्स चलें और किसी तरह की परेशानी न हो।

जहां तक इंस्टीट्यूट के क्लोजर का सवाल है, उसका एक कारण यह होता है कि अगर विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं और faculty नहीं होगी, तो उसे क्लोज किया जाता है। मगर इसके

साथ-ही-साथ एआईसीटी यह भी मॉनिटर करती है कि जो नॉम्स हैं, वे फॉलो किये जा रहे हैं या नहीं। अगर इंस्टीट्यूट उन्हें फॉलो नहीं कर रही है, तो एआईसीटी भी कदम उठाती है कि उस इंस्टीट्यूट को क्लोजर के लिए लिया जाए।

SHRI N.K. SINGH: Sir, in part (b) of his reply, the hon. Minister has mentioned that the data regarding the rate of placement is not maintained by the Ministry of Human Resource Development. Now, the question is, is it not ironic that for the country as a whole, on the one hand, there is a huge shortage of engineering colleges and, on the other, thousands of engineering colleges are applying for closure? Would it not be more prudent if the AICTE, before granting the permission, does look into the quality of the engineering colleges and the likelihood of students being able to secure employment, so that this ironic condition of shortage, on the one hand, and closure, on the other, can be obviated?

SHRI JITIN PRASADA: Sir, as far as quality and closure are concerned, the Government is very particular that all institutes which fulfill the norms — after all, the land and infrastructure are made available by a private party, but everything that is done to sanction an institute is done online subject to fulfilling all standards and norms which are inscribed in the rule book. As far as the quality is concerned, AICTE has been funded by the Ministry, which looks after various courses and other trades which ensure that the quality is maintained. The job of a student, the placements, are a primary concern. Those are being tracked from this year onwards, as to how many placements are being done by a particular institute, and since everything has become online recently, this data has just started flowing in. But I must tell you that various initiatives have been taken by the Ministry and by the AICTE with regard to placement and improving quality. There are 25 such courses and initiatives that have been done.

डा. राम प्रकाश : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के अभाव में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेज और पॉलिटेक्निक्स, sanctioned 5 ट्रेड्स में से एक या दो ट्रेड्स बंद कर रहे हैं? क्या मंत्री जी infrastructure तथा space की पूरी utilization के लिए उसी बिल्डिंग में एक या दो वर्ष के कुछ अन्य कोर्सेस जैसेकि paramedical course चलाने की अनुमति देंगे?

श्री सभापति : सवाल इंजीनियरिंग पर है।

डा. राम प्रकाश : जी, सर। एलाइड कोर्सेस चलाने की क्या अनुमति देंगे? क्योंकि स्पेस खाली है और अगर ये अनुमति नहीं देंगे, तो और ज्यादा कॉलेज बंद होंगे। ये जो कॉलेज बंद हो रहे हैं, वे स्टेप बाइ स्टेप अपने कुछ ट्रेड बंद कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please silence. ...(Interruptions)... Please silence. ...(Interruptions)...

डा. राम प्रकाश : सर, उनकी सिक्योरिटी की भी बात है। वे अपने कुछ ट्रेड बंद कर रहे हैं। अगर ये उस जगह का लाभ उठाने की अनुमति दें, तो कम कॉलेज बंद होंगे, कम पोलिटेक्निक बंद होंगे। मैं मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री जितिन प्रसाद : सभापति जी, जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है, जिस ट्रेड के लिए एप्लाइ किया जाता है, उसी की परमिशन दी जाती है। मैं जानता हूँ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है और वह पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा मंत्रालय खास फोकस कर रहा है स्किल्ड डवलपमेंट, जो इस सरकार की प्राथमिकता है, कम्युनिटी कोर्सेस, कम्युनिटी कॉलेजेज़ को इन इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है, इसलिए जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके तमाम स्किल्ड कोर्सेस, कम्युनिटी कॉलेजेज़ खोले जाएं, ताकि आम जनता को उन लोगों को भी फायदा मिल पाए, जो इन कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इससे विद्यालय के स्पेस का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और आमदनी के साधन भी हो जाएंगे।

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एचआरडी मिनिस्टर साहब से माननीय खन्ना साहेब ने किया। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात करना चाहूंगा, वैसे बात तो पूरे भारतवर्ष की है, लेकिन मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूछना चाहूंगा। हमारे राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज कुकुरमुत्ते की तरह खुले, जिसे अंग्रेजी में मशरूम कहेंगे वैसे हिंदी में उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, जो सुनने में कुछ आपको अटपटा महसूस हो रहा होगा। चूंकि हम देश के ऐसे भूभाग से आते हैं, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है और यह हिंदी भाषा हमारे देश की जननी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने कुकुरमुत्ते ढंग से विकास का काम किया, जगह-जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, जिनमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद कॉलेज बीच में बंद हो गए। हमारे संज्ञान में विश्वस्त सूत्रों से आया है कि उनको बगैर मानक पूरा किए इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने की मान्यता दी गई और बीच में ही जब उनकी डील प्रशासन से पूरी नहीं हो पाई, तो बीच में ही उन इंजीनियरिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई और बच्चों को खुलेआम भटकने के लिए छोड़ दिया गया।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री ब्रजेश पाठक : सर, भूमिका बता रहा हूँ। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन बच्चों ने पांच साल के लिए इंजीनियर कॉलेजों में एडमिशन लिया था, दो साल या तीन साल या एक साल पढ़ाई करने के बाद खुलेआम सड़कों पर घूम कर गलत रास्तों पर चले गए, अपराध में लिप्त हो गए और अपराध में लिप्त होने के कारण क्या हुआ कि उनकी नौजवानी तो गई ही, उनके बूढ़े मां-बाप की बुढ़ौती भी कष्ट में पड़ गई।

श्री सभापति : सवाल पूछिए, आप।

श्री ब्रजेश पाठक : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया था, वे लाइन लगा कर लेपटॉप तो सरकार द्वारा पा गए, लेकिन अब हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने यह योजना बनाई है कि सरकार जो लेपटॉप उन्हें, उन बेरोजगारों को प्रदान करने जा रही है, वह दो-दो हजार रुपए में बेचने के लिए लाइन लगा रहे हैं...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Pathak ji, Please. Either you ask your question or sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक : तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों को बगैर मानक पूरे किए मान्यता दी गई है, क्या उनकी कोई सूची बनाकर आप उनकी मान्यता रद्द करने का काम करेंगे? और, जहां 70 परसेंट से अधिक सीटें खाली हैं, *

MR. CHAIRMAN: Mr. Pathak, that is enough. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... This is not an occasion for making speeches. ...*(Interruptions)*...

श्री जितिन प्रसाद : सभापति जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि मान्यता दी गई है। मान्यता उन्हीं विद्यालयों को दी गई है, जिन्होंने सभी प्रावधान पूरे किए हैं। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है...(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठक : सर, हमारे उत्तर प्रदेश में..

MR. CHAIRMAN: No, You will not interrupt. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए, आपने सवाल पूछ लिया।...(व्यवधान)... अब आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)... पाठक जी, Please don't do this. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं, यह गलत है। आप बैठ जाइए।

श्री जितिन प्रसाद : सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिसके पास जमीन है, पैसा है वह अपना कॉलेज खोल लेता है, मगर उसे एआईआईसीटी और भारत सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जाती। हम किसी को विद्यालय खोलने से रोक नहीं सकते। जो खोलता है, उसकी गाइडलाइन्स अगर मैच नहीं करती हैं, तो उनको शॉ-काज नोटिस दिया जाता है और उनका नाम वेबसाइट पर डाला जाता है कि ये मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं हैं। प्रदेश सरकारों को भी लिखा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे प्रदेश सरकार पर दबाव डालें, ऐसे विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई करवाएं, जो बिना परमिशन के खुले हुए हैं।